

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()प्रशिक्षण/आवटन/ICDS/17/7576-80

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.....।

जयपुर, दिनांक: 9/11/2018

विषय:- प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्न मद् अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101- विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा

[02]- एकीकृत बाल विकास योजना

29- प्रशिक्षण (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

क.सं.	नाम जिला कार्यालय	(राशि लाखों में)		
		केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटन
1	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर	6.00	4.00	10.00
2	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	9.60	6.40	16.00
3	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, डूंगरपुर	7.20	4.80	12.00
4	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांसवाडा	6.00	4.00	10.00
5	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, पाली	12.00	8.00	20.00
योग:-		40.80	27.20	68.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों (नॉमर्स) एवं उक्त मैचिंग शेयर के अनुपात में नियमानुसार किया जावे।

क्रमांक:-एफ-2()प्रशिक्षण/आवटन/ICDS/17/7581-82

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को आईएफएमएस पर अपलोड करवाने हेतु।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)

जयपुर, दिनांक: 9/11/2018

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)